संख्या- 139/2020/3982/71-1-2020-जी-25/2013

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 11 नवम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, कन्नौज के निर्माण कार्य हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, कन्नौज के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2722/71-1-2013-जी-25/2013, दिनॉक 11-02-2014 द्वारा रू0 2,28,43,83,000/- (रू0 दो अरब अट्ठाइस करोड़ तैतालीस लाख तिरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृत लागत रू0 22843.83 लाख के सापेक्ष विभिन्न् शासनादेशों द्वारा कुल रू0 20097.04 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

2- आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/482, दिनॉक 23-10-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, कन्नौज के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 318.15 लाख (रू0 तीन करोड़ अट्ठारह लाख पन्द्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 एवं शासनादेश दिनॉक 07.04.2020 एवं 11.04.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- धनराशि का एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा। आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरण किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
3- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद/कार्य में किया जाय, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की गयी है, किसी अन्य कार्य/मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
4- मात्राओं के निर्माण का समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।
5- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी। इनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय।
6- प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा पी0एफ0ए0डी0/व्यय वित्त समिति की शर्तो तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7- प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
8- महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
9- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
10- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11- कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनॉक 07 अप्रैल, 2020 के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संबंधित वित्त नियंत्रक का होगा।
13- शासनादेश संख्या-2722/71-1-2013-जी-25/2013, दिनॉक 11-02-2014 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।
14- प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।
15- उक्त अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-23-पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, कन्नौज-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनॉक 29 सितम्बर, 2020 एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22-07-2014 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:- 139/2020/3982(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज कन्नौज।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।